रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 2011/माघ 25, 1932
No. 80] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2011/MAGHA 25, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 92(अ).— केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, खाद्य मानक केन्द्रीय समिति के साथ परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव है, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से आक्षेप या सुझाव प्राप्त होते हैं उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110011 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है),-

(क) नियम 42 में - उपनियम (ययय) (23) में "ब्रेड और केकों" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"दही, माउसी, स्प्रेड, डेरी आधारित पेय (मिल्क शेक, लस्सी), पनीर, पुडिंग, क्रीम, आइस क्रीम, गैर डेरी बर्फ, सोरबेट और फ्रुट आइस, जमी हुई दही, फ्लैकस और खाने के लिए तैयार (रेडी टु इट) सूखा नाशता अनाज, चाकलेट, मिठाईयां (कार्बोहाइड्रेट आधारित और दुग्ध उत्पाद आधारित), हलवा, मैसूर पाक, बूंदी लड्डू, जलेबी, खोया बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और इसी प्रकार की दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाइयां जिन्हें किसी भी नाम से बेचा जाता हो, कुक्ड सासेज, हेम, मीट स्प्रेड";

(ख) उपनियम (ययय)(27) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(28) फैट स्प्रेड, दुग्ध उत्पाद, दुग्ध आधारित फल पेय, किण्वन दुग्ध उत्पाद, सोया और चावल पेय, पनीर उत्पाद, दही उत्पाद, स्पाइस सॉस, सलाद ड्रेसिंग, रस और मकरंद जिसमें प्लांट स्टनोल इस्टर हो, के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित घोषणा होगी, अर्थात् :-

इसमें प्लांट स्टनोल इस्टर .... ग्राम/100 ग्राम है

चिकित्सीय सलाह के अधीन इसे लिया जाएगा
केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए आशयित है जो क्लोरस्ट्रोल को कम करने की औषधि ले रहे हैं गर्भवती और स्तन्यपान कराने वाली स्त्रियों और पांच वर्ष की आयु से कम बालकों के पोषण के लिए उपयुक्त नहीं है ।

(29) बिस्कुट, ब्रेड, केक, ब्रेकफास्ट अनाज, कार्बोनेटड वाटर, ऊष्मीय प्रसंस्कृत फल, फल रस, फल मकरंद, फल पेय, फ्रूट सक्वेश, जैम, जैली, फल पनीर, मार्मालेड, दुग्ध आधारित पेय, मिल्क पाउडर, कार्बोहाइड्रेट आधारित और दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाइयां जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़ा, खोया बर्फी, मेकरोनी उत्पाद, नुडल्स, पास्ता, स्वीट्स और कनफेक्शनरी, कैंडी और आइसिंग के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् :-

इनमें ट्रेहालोस हैं जो ग्लुकोज़ का स्रोत है" ।

3. खाद्य उत्पादों और उसकी प्रविष्टियों में खाद्य योज्यों के प्रयोग से संबंधित भाग 19 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"भाग 20 - खाद्य उत्पादों में खाद्य संघटकों का उपयोग

84. विभिन्न खाद्य में खाद्य संघटकों का उपयोग - निम्नलिखित खाद्य उत्पादों में नीचे यथाविनिर्दिष्ट खाद्य संघटक अंतर्विष्ट होंगे

(क) नियम 42 (ययय)(23) के अधीन लेबल घोषणा के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित उत्पादों में उत्पाद के 10 प्रतिशत से अनधिक **ओलीगोफ्रुक्टोस** डाला जा सकता है :-

डेरी उत्पाद - "दही, माउसी, स्प्रेड, डेरी आधारित पेय (मिल्क शेक, लस्सी), पनीर, पुडिंग, क्रीम आइस क्रीम, गैर डेरी बर्फ, सोरबेट और फ्रुट आइस, जमी हुई दही, फ्लैकस और खाने के लिए

तैयार (रेडी टु इट) सूखा नाशता अनाज, चाकलेट, मिठाईयां (कार्बोहाइड्रेट आधारित और दुग्ध उत्पाद आधारित), हलवा, मैसूर पाक, बूंदी लड्डू, जलेबी, खोया बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और इसी प्रकार की दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाइयां जिन्हें किसी भी नाम से बेचा जाता हो, कुक्ड सासेज, हेम, मीट स्प्रेड";

(ख) नियम 42 (ययय)(28) के अधीन लेबल घोषणा के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित उत्पादों में 1.0 प्रतिशत से अनधिक **फाइटोस्टानोल** डाला जा सकता है :- .

वसा फैट स्प्रेड, दुग्ध उत्पाद, दुग्ध आधारित फल पेय, किण्वन दुग्ध उत्पाद, सोया और चावल पेय, पनीर उत्पाद, दही उत्पाद, स्पाइस सॉस, सलाद ड्रेसिंग, रस और फल मकरंद ।

(ग) नियम 42 (ययय)(29) के अधीन लेबल घोषणा के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित खाद्य में एक संघटक के रूप में **ट्रीहालोस** डाला जा सकता है :-

(i) बिस्कुट, ब्रेड, केक, ब्रेकफास्ट अनाज.............	0.5-10%
(ii) कार्बोनेटड वाटर, ऊष्मीत प्रसंस्कृत फल, फ्रूट जूस (फल रस), फल मकरंद, फल पेय, फल स्केवश, जैम, जैली, फल पनीर, मार्मालेड, डेरी आधारित पेय और मिल्क पाउडर ।	0.5-20%
(iii) कार्बोहाइड्रेट आधारित और दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाइयां जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़ा, खोया बर्फी.....	0.5-20%
(iv) मेकरोनी उत्पाद, नूडल्स, पास्ता	0.5-5%
(v) स्वीट्स और कन्फेशनरी, कैंडी और आइसिंग ....:	5.0-75%

ट्रीहालोस पर यह लेबल होगा "इसमें ट्रीहालोस है जो ग्लुकोज़ का स्रोत है";

(घ) **निम्नलिखित खाद्य में एक संघटक के रूप में सोडियम आइरन (III) इथेलिन डायामाइन टेट्रा एसीटेट, ट्राहाईड्रेट (सोडियम फेरीडेटएट · Na Fe EDTA)** डाला जा सकता है :-

रेडी टू सर्व पेय, कार्बोनेटेड फल पेय और फल मकरंद में 155 पीपीएम से अधिक नहीं" ।

4. उक्त नियमों में परिशिष्ट ख में, -

(क) मद क 11.02.13 से पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"शिशु दुग्ध अनुकल्प"

(ख) शिशु फार्मूला से संबंधित मद क 11.02.13.01 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु लेक्टोस मुक्त शिशु दुग्ध अनुकल्प और लेक्टोस तथा सुक्रोस मुक्त शिशु दुग्ध अनुकल्प में -

(i) भार के अनुसार कुल प्रोटीन की प्रतिशतता 10 प्रतिशत से कम और 16 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(ii) भार के अनुसार कुल वसा (फैट) प्रतिशतता 18.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी ;

(iii) लेक्टोस मुक्त के उत्पाद में दावाकृत लेक्टोस 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ;

(ग) मद क 11.02.13.02 से पहले निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"शिशु खाद्य"

(घ) प्रसंस्कृत अनाज आधारित अनुपूरक आहार से संबंधित मद क 11.02.13.03 में सारणी के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहां प्रसंस्कृत अनाज आधारित अनुपूरक आहार प्रोटीन आवश्यकताओं को निर्बंधित करने की विनिर्दिष्ट दशाओं में उपयोग और जहां अन्य अनाज जैसे गेहूं, सोया, फली और दुग्ध का उपयोग नहीं किया जा सकता है वहां ऐसे प्रसंस्कृत अनाज आधारित अनुपूरक को एक अनाज, जैसे चावल या रागी, से तैयार किया जा सकेगा और उसमें कम से कम 6-9 प्रतिशत प्रोटीन होना चाहिए । ऐसे उत्पादों पर यह ध्यानाकर्षी लेबल लगा होगा कि "केवल चिकित्सीय दिशानिर्देश के अधीन विनिर्दिष्ट दशाओं में उपयोग के लिए प्रसंस्कृत एक अनाज आधारित अनुपूरक आहार";

(ङ) प्रबलित आटा से संबंधित मद क 18.01.01 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

"क 18.01.01 - प्रबलित आटा से आटे में निम्नलिखित पदार्थों में से एक या एक से अधिक पोष्टिक तत्वों को डालकर प्राप्त किया उत्पाद अभिप्रेत है, अर्थात् :-

क्रम सं.	पोष्टिक तत्व	प्रतिकिलो आटे में प्रबलता का स्तर
(1)	(2)	(3)
1.	**केल्शियम** - केल्शियम कार्बोनेट, केल्शियम क्लोराइड, केल्शियम साईट्रेट, केल्शियम फास्फेट मोनोबेसिक, केल्शियम फास्फेट डायबेसिक, केल्शियम फास्फेट ट्राईबेसिक ;	900 मि0ग्रा0
2.	**आयरन** - फैरस साईट्रेट, फैरस लेक्टेट, फैरस सल्फेट, फैरिक पायरोफास्फेट ;	60 मि0ग्रा0
3.	**विटामिन ए** - रेटीनाइल एसीटेट, रेटीनाइल पाल्मीटेट, रेटीनाइल प्रोपीओनेट ;	1400 यूजीआरई
4.	**एसकोर्बिक अम्ल (विटामिन सी)** - एसकोर्बिक अम्ल, सोडियम एसकोर्बेट, केल्शियम एसकोर्बेट, एस्कोर्बिल-6-पाल्मीटेट ;	90 मि0ग्रा0
5.	**थायमिन (बिटामिन बी 1)** - थायमिन क्लोराईड हाईड्रोक्लोराईड, थायमिन मोनोनिट्रेट ;	2.7 मि0ग्रा0
6.	**रिबोफ्लेविन (बिटामिन बी 2)** - रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन 5 - फास्फेट सोडियम ;	3.2 मि0ग्रा0
7.	**नायसिन** - निकोटिनामाईड, निकोटिनिक अम्ल ;	36 मि0ग्रा0
8.	**पायरीडोक्साईन (विटामिन बी 6)** - पायरीडोक्साईन हाइड्रोक्लोराईड ;	4.5 मि0ग्रा0

9.	**फोलिक अम्ल** - फोलिक अम्ल ;	300 यूजी
10.	**बिटामिन बी 12** - सायानोकोबालामिन, हाईड्रोक्सीकोबालामिन ;	2.5 यूजी
11.	**सोडियम आयरन (III) इथेलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ट्रीहाड्रेट (सोडियम फेरीडेटेट - एनए एफई ईडीटीए)**	200 मि0ग्रा0

ये कृन्तक बाल और मल-मूत्र से मुक्त होंगे ।

(च) प्रबलित मैदा से संबंधित मद क.18.02.01 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

"क.18.02.01 - प्रबलित मैदा से मैदा में निम्नलिखित पदार्थों में से एक या एक से अधिक पोष्टिक तत्वों को डालकर प्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है, अर्थात् :-

क्रम सं.	पोष्टिक तत्व	प्रतिकिलो आटे में प्रबलता का स्तर
(1)	(2)	(3)
1.	**केल्शियम** - केल्शियम कार्बोनेट, केल्शियम क्लोराइड, केल्शियम साईट्रेट, केल्शियम फास्फेट मोनोबेसिक, केल्शियम फास्फेट डायबेसिक, केल्शियम फास्फेट ट्राईबेसिक ;	900 मि0ग्रा0
2.	**आयरन** - फैरस साईट्रेट, फैरस लेक्टेट, फैरस सल्फेट, फैरिक पायरोफास्फेट ;	60 मि0ग्रा0
3.	**विटामिन ए** - रेटीनाइल एसीटेट, रेटीनाइल पाल्मीटेट, रेटीनाइल प्रोपीओनेट ;	1400 यूजीआरई
4.	**एसकोर्बिक अम्ल (विटामिन सी)** - एसकोर्बिक अम्ल, सोडियम एसकोर्बेट, केल्शियम एसकोर्बेट, एस्कोर्बिल-6-पाल्मीटेट ;	90 मि0ग्रा0
5.	**थायमिन (बिटामिन बी 1)** - थायमिन क्लोराईड हाईड्रोक्लोराईड, थायमिन मोनोनिट्रेट ;	2.7 मि0ग्रा0
6.	**रिबोफ्लेविन (बिटामिन बी 2)** - रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन 5 - फास्फेट सोडियम ;	3.2 मि0ग्रा0
7.	**नायसिन** - निकोटिनामाईड, निकोटिनिक अम्ल ;	36 मि0ग्रा0
8.	**पायरीडोक्साईन (विटामिन बी 6)** - पायरीडोक्साईन हाइड्रोक्लोराईड ;	4.5 मि0ग्रा0

9.	**फोलिक अम्ल** - फोलिक अम्ल ;	300 यूजी
10.	**बिटामिन बी 12** - सायानोकोबालामिन, हाईड्रोक्सीकोबालामिन ;	2.5 यूजी
11.	**सोडियम आयरन (III) इथेलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ट्रीहाड्रेट (सोडियम फेरीडेटेट - एनए एफई ईडीटीए)**	200 मि०ग्रा०

ये कृन्तक बाल और मल-मूत्र से मुक्त होंगे" ।

[फा. सं. पी-15014/3/2008-पी.एच. (खाद्य)]

अरुण कुमार पण्डा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 में संख्यांक का.नि.आ. 2106, तारीख 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 652(अ), तारीख 2-8-2010 द्वारा उनमें अंतिम संशोधन किए गए थे ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2011

G.S.R. 92(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposes to make in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published as required by sub-section (1) of section 23 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

The objections or suggestions, which may be received from any person, with respect to the said draft rules, within the period specified above, will be considered by the Central Government;

The objections or suggestions, if any, may be forwarded to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

1.(1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (1st Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules 1955, (hereinafter referred to as the said rules),-

(a) in rule 42- in sub-rule (ZZZ)(23), after the words "bread and cakes", the following shall be inserted, namely :-

"Yoghurt, Mousse, Spreads, dairy based drinks (Milkshakes, Yoghurt drink), Cheese, Pudding, Cream, Ice-Cream, Non dairy ice, Sorbet and Fruit ice, Frozen Yoghurt, Flakes and Ready-to-eat dry breakfast cereals, Chocolates, Sweets (Carbohydrate based and Milk product based): Halwa, Mysore Pak, Boondi Laddu, Jalebi, Khoya Burfi, Peda, Gulab Jamun, Rasogolla and Similar milk product based sweets sold by any name, Cooked sausages, Ham, Meat spreads";

(b) after sub -rule (ZZZ)(27), the following shall be inserted, namely:-

"(28) Every package of fat spread, milk products, milk based fruit drink, fermented milk products, soy and rice drink, cheese products, yoghurt products, spice sauces, salad dressings, juices and nectars containing plant stanol esters shall bear the following declaration, namely:-

Contains Plant Stanol Esters-----gm/100gm
To be taken under medical advice
Intended exclusively for people on cholesterol lowering medication.
May not be nutritionally appropriate for pregnant and Breast feeding women and children under the age of five years.

(29) Every package of Biscuits, bread, cakes, Breakfast cereals Carbonated water, thermally processed fruits, Fruit juices, fruit nectars, fruit beverages, fruit Squashes, jam, jelly, fruit cheese, marmalade Dairy based drinks and milk powders, carbohydrate- based and milk product based sweets like gulab jamun, rosogolla, peda, khoya burfi, Macroni products, noodles, pasta Sweets and confectionery, candies and icings shall bear the following label, namely:-

Contains Trehalose- source of glucose".

3. After Part XIX relating to Use of Food Additives in food products and entries thereof the following part shall be inserted, namely:-

"PART XX- USE OF FOOD INGREDIENTS IN FOOD PRODUCTS

84. Use of food ingredients in different foods. The following food products may contain the food ingredients as specified below.

(a) **Oligofructose** may be added at not more than 10 percent of the product, in the following products, subject to label declaration under rule 42(ZZZ) (23).

Dairy Products: Yoghurt, Mousse, Spreads, dairy based drinks (Milkshakes, Yoghurt drink), Cheese, Pudding, Cream,Ice-Cream,Frozen desserts: Non dairy ice, Sorbet and Fruit ice, Frozen Yoghurt, Flakes and Ready-to-eat dry breakfast cereals,Chocolate,Sweets (Carbohydrate based and Milk product based): Halwa, Mysore Pak, Boondi Laddu, Jalebi, Khoya Burfi, Peda, Gulab Jamun, Rasogolla and similar milk product based sweets sold by any name, Cooked sausages, Ham, Meat spreads;

(b) **Phytostanol** esters may be added at not more than 1.0 percent in the following products, subject to label declaration under rule 42(ZZZ) (28).

Fat spread, milk products, milk based fruit drink, fermented milk products, soy and rice drink, cheese products, yoghurt products, spice sauces, salad dressings, juices and nectars;

(c) **Trehalose** may be added as an ingredient in the following foods, subject to label declaration under rule 42(ZZZ) (29).

(i) Biscuits, bread, cakes, Breakfast cereals----------	0.5-10%
(ii) Carbonated water, thermally processed fruits, Fruit juices, fruit nectars, fruit beverages, fruit Squashes, jam, jelly, fruit cheese, marmalade, Dairy based drinks and milk powders,	0.5-20%
(iii) carbohydrate- based and milk product based sweets like gulab jamun, rosogolla, peda , khoya burfi ------	0.5-20%
(iv) Macroni products, noodles, pasta ----------	0.5-5%
(v) Sweets and confectionery, candies and icings------	5.0-75%

Trehalose shall be labeled "Contains Trehalose- source of glucose";

(d) **Sodium Iron (III) Ethylene Diamine tetra Acetate, Trihydrate (Sodium Feredetate- Na Fe EDTA)** may be added as an ingredient in the following foods:-

Ready to Serve Beverages, Carbonated Fruit Drink and Fruit Nectars at not more than 155 ppm".

4. In the said rules, in Appendix B,-

(a) before item A.11.02.13, the following shall be inserted, namely:-

"Infant Milk Substitutes"

(b) In item A.11.02.13.01 relating to Infant Formula the following proviso shall be inserted at the end namely:-

"Provided that in case of lactose free Infant milk Substitutes and lactose and Sucrose free Infant Milk Substitutes -

(i) Total protein, percent by weight shall not be less than 10.0 and not more than 16 per cent; and

(ii) Total fat, per cent by weight shall not be less than 18.0

(iii) The lactose in the product claimed to be lactose free shall not exceed 0.05 percent";

(c) Before item A.11.02.13.02 the following shall be added namely:-

"Infant Foods"

(d) In item A.11.02.13.03 relating to Processed Cereal Based Complementary Food the following proviso shall be inserted after the table namely:-

"Provided that the Processed Cereal Based Complementary Foods for use in specific conditions where protein needs to be restricted and where other cereals like wheat, soya, legumes and milk can not be used, such Processed Cereal Based Complementary Foods may be prepared with single cereal like Rice or Ragi, which shall have the minimum protein content of 6-9%. Such products shall be conspicuously labeled, "Processed Mono Cereal Based Complementary Food For use in Specific conditions under medical guidance only";

(e) for item A.18.01.01 relating to fortified atta the following shall be substituted,

"A.18.01.01- FORTIFIED ATTA means the product obtained by adding one or more of the following nutrients to atta, namely:-

S. No.	Nutrient	Level of fortification per Kg of atta
(1)	(2)	(3)
1.	**Calcium-** Calcium carbonate, Calcium chloride, Calcium citrate, Calcium phosphate monobasic, Calcium phosphate dibasic, Calcium phosphate tribasic;	900mg
2.	**Iron-** Ferrous citrate, Ferrous lactate, Ferrous sulphate, Ferric pyrophosphate;	60mg
3.	**Vitamin A-** Retinyl acetate, Retinyl palmitate, Retinyl propionate;	1400 µg RE
4.	**Ascorbic Acid (Vitamin C) -** Ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate, ascorbyl-6-palmitate;	90 mg
5.	**Thiamine (Vitamin B1) -** Thiamine chloride hydrochloride, Thiamine mononitrate;	2.7mg
6.	**Riboflavin (Vitamin B2) -** Riboflavin, Riboflavin 5'- Phosphate sodium;	3.2mg
7.	**Niacin –** Nicotinamide, nicotinic acid;	36mg
8.	**Pyridoxine (Vitamin B6) -** Pyridoxine hydrochloride;	4.5mg
9.	**Folic acid-** Folic acid;	300 µg
10.	**Vitamin B12-** Cyanocobalamine, hydroxycobalamin;	2.5 µg
11.	**Sodium Iron (III) Ethylene Diamine tetra Acetate, Trihydrate (Sodium Feredetate- Na Fe EDTA)**	200 mg

It shall be free from rodent hair and excreta;

(f)) for item A.18.02.01 relating to fortified maida, the following shall be substituted, namely:-

"A.18.02.01- FORTIFIED MAIDA means the product obtained by adding one or more of the following nutrients to maida, namely:-

S. No	Nutrient	Level of fortification per Kg of maida
(1)	(2)	(3)
1.	**Calcium-** Calcium carbonate, Calcium chloride, Calcium citrate, Calcium phosphate monobasic, Calcium phosphate dibasic, Calcium phosphate tribasic;	900mg
2.	**Iron-** Ferrous citrate, Ferrous lactate, Ferrous sulphate, Ferric pyrophosphate;	60mg
3.	**Vitamin A-** Retinyl acetate, Retinyl palmitate, Retinyl propionate;	1400 µg RE
4.	**Ascorbic Acid (Vitamin C)** - Ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate, ascorbyl-6-palmitate;	90 mg
5.	**Thiamine (Vitamin B1)** - Thiamine chloride hydrochloride, Thiamine mononitrate;	2.7mg
6.	**Riboflavin (Vitamin B2)** - Riboflavin, Riboflavin 5'- Phosphate sodium;	3.2mg
7.	**Niacin** – Nicotinamide, nicotinic acid;	36mg
8.	**Pyridoxine (Vitamin B6)** - Pyridoxine hydrochloride;	4.5mg
9.	**Folic acid-** Folic acid;	300 µg
10.	**Vitamin B12-** Cyanocobalamine, hydroxycobalamin;	2.5 µg
11.	**Sodium Iron (III) Ethylene Diamine tetra Acetate, Trihydrate (Sodium Feredetate-Na Fe EDTA)**	200 mg

It shall be free from rodent hair and excreta".

[F. No. P.-15014/3/2008-PH (Food)]
ARUN KUMAR PANDA, Jt. Secy.

Note : The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India *vide* number S.R.O. 2106, dated the 12th September, 1955 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 652(E), dated 2-8-2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.